संख्या:299 / 2015 / 2302 / 35-4-2015

प्रेषक ,

जे.बी.सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग
उ0 प्र0 लखनऊ

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:04 नवम्बर,2015

विषय: वर्ष 2015-16 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद फैजाबाद में शासनादेश संख्या-1134 / 35-4-2014 दिनांक 13 नवम्बर,2014 के द्वारा 10 कार्यों की रू. 2108.89 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए मनरेगा अंश की धनराशि रू. 95.56 लाख को घटाते हुए अवशेष लागत रू. 2013.33 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 1006.67 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। मुख्य अभियंता, (मु0-1) लो0नि0वि0 के पत्र संख्या-5193बी.जी. / 7 बी.-3 त्व0आ0वि0यो0 / 2015-16 दिनांक 18 सितम्बर,2015 द्वारा उक्त कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्यो की राज्यांश के रूप में अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू. 1006.66 लाख (रूपये दस करोड़ छः लाख छाछठ हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू.में)

	कार्य	अनुमोदित लागत			प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
		कुल	मनरेगा	राज्यांश		
1	विनायकपुर पी0एम0जी0एस0वाई0 से इच्छोई सम्पर्क मार्ग का निर्माण	211.37	9.59	201.78	100.89	100.89
2	पूरा उर्फ सुमेरपुर सम्पर्क मार्ग से रहमानीगंज होते हुये लिलहा रसूलपुर सम्पर्क मार्ग	252.59	11.15	241.44	120.72	120.72
3	कहुवा से अहलाद तिवारी का पुरवा एवं सन्त का पुरवा होते हुये टिकत तक	293.20	13.12	280.08	140.04	140.04
4	कोटिया जखवा सम्पर्क मार्ग से पूरा गंगा शुक्ल का पुरवा होत हुये झब्बरा सम्पर्क मार्ग	149.28	6.56	142.72	71.36	71.36
5	रामागंज इण्टर कालेज से सुरती का पुरवा हिसामुदीनपुर, ताईदीहा चौराहा होते हुये ईटगांव बाबा बाजार तक	205.11	9.59	195.52	97.76	97.76
6	इयोढी गुदरही अमानीगंज मार्ग से मुडेरवा से रामनगर चौराहा तक	213.52	9.59	203.93	101.96	101.97

http://shasanadesh.up.nic.in

	कार्य	अनुमोदित लागत			प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
		कुल	मनरेगा	राज्यांश		
7	पूरे टिकई कोटिया सम्पर्क मार्ग से पूरेभागी सम्पर्क मार्ग	210.45	9.59	200.86	100.43	100.43
8	फैजाबाद रायबरेली मार्ग से शंकरगंज चौराहा से गोकुल सम्पर्क मार्ग	250.73	9.59	196.14	98.07	98.07
9	घटौली सम्पर्क मार्ग से नहर की पटरी होते हुये धरौली सम्पर्क मार्ग	210.80	9.59	201.21	100.61	100.60
10	अजरौली चिरौली मार्ग से भरी (सिडसिड) होते हुये बनखोदवा ताउ का पुरवा सम्पर्क मार्ग	156.84	7.19	149.65	74.83	74.82
	योग	**2108.89**	**95.56**	**2013.33**	**1006.67**	**1006.66**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 13 नवम्बर,2014 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आहरित कर डिपाजिट कार्यों के रूप में कार्यदायी विभाग-द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष "8782" के अन्तर्गत-सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-47/दस-97- 10(9)/95, दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

3- इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2016 तक कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2016 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2016 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2016 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-03-ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

http://srcshahjahanpur.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च,2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव

संख्या:299/2015/2302(1)/35-4-2015 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण ।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, फैजाबाद।
7- जिलाधिकारी, फैजाबाद।
8- मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, फैजाबाद।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, फैजाबाद।

आज्ञा से ,

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in